प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19-07-2022

विषय- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध 10 विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-21848/सामा-1(7)/10 बंदी/के0का0आगरा/2022, दिनांक 06-07-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध निम्नलिखित 10 विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागार
1	2	3	4
1	विचाराधीन बंदी मोनू नागर पुत्र श्री धर्मवीर	केन्द्रीय कारागार, आगरा	जिला कारागार, पीलीभीत।
2	विचाराधीन बंदी मोहम्मद जुबैर पुत्र श्री अरसुल रहमान	केन्द्रीय कारागार, आगरा	जिला कारागार, चित्रकूट।
3	विचाराधीन बंदी अनूप भाटी पुत्र श्री उदय सिंह	केन्द्रीय कारागार, आगरा	जिला कारागार, फैजाबाद।
4	विचाराधीन बंदी राकेश उर्फ अब्बा पुत्र श्री विश्राम सिंह	केन्द्रीय कारागार, आगरा	जिला कारागार, अम्बेडकर नगर।
5	विचाराधीन बंदी विकास सिंह पुत्र श्री विनोद सिंह	केन्द्रीय कारागार, आगरा	जिला कारागार, मेरठ।
6	सिद्धदोष बंदी हरिओम त्यागी पुत्र श्री रघुराज सिंह	केन्द्रीय कारागार, आगरा	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
7	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी गब्बर अब्बास उर्फ शाकिर अली पुत्र श्री असगर अली	केन्द्रीय कारागार, आगरा	केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
8	सिद्धदोष बंदी मो0 आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद रज्जाक	केन्द्रीय कारागार, आगरा	जिला कारागार, एटा।
9	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी भगत सिंह पुत्र श्री लेखराज यादव	केन्द्रीय कारागार, आगरा	जिला कारागार, कानपुर देहात।
10	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी लेखराज पुत्र श्री मजबूत सिंह	केन्द्रीय कारागार, आगरा	जिला कारागार, कन्नौज।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा/पीलीभीत/चित्रकूट/अयोध्या/अम्बेडकर नगर/मेरठ/फर्रूखाबाद/प्रयागराज/एटा/कानपुर देहात/कन्नौज।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा/पीलीभीत/चित्रकूट/अयोध्या/अम्बेडकर नगर/मेरठ/फर्रूखाबाद/प्रयागराज/एटा/कानपुर देहात/कन्नौज।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़/नैनी प्रयागराज।

7- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार पीलीभीत/चित्रकूट/अयोध्या/अम्बेडकर नगर/मेरठ/एटा/कन्नौज/कानपुर देहात।

8- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को केन्द्रीय कारागार, आगरा से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।